पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2000

सा. का. नि. 280.—केन्द्रीय सरकार, तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तेल उद्योग (विकास) बोर्ड कर्मचारी (छुट्टी) नियम, 1984 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तेल उद्योग (विकास) बोर्ड कर्मचारी (छुट्टी) संशोधन नियम, 2000 है।

(2) नियम 10 के उपनियम (2), नियम 10 के उपनियम (5), नियम 10 के उपनियम (6) के परन्तुक, नियम 12 के उपनियम (1), नियम 12 के उपनियम (2) के पहले परन्तुक, नियम 12 के उपनियम (2) के दूसरे परन्तुक का संशोधन और नियम 23 का अन्तःस्थापन 1 जुलाई, 1997 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा और नियम 20 के उपनियम (1) का संशोधन 7 अक्तूबर, 1997 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. तेल उद्योग (विकास) बोर्ड कर्मचारी (छुट्टी) नियम 1984 में, (क) नियम 10 में —

(1) उपनियम (2) और उपनियम (5) में "240 दिन" अंकों और शब्द के स्थान पर "300 दिन" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(2) उपनियम (6) के परन्तुक में "120 दिन" अंकों और शब्द के स्थान पर "150 दिन" अंक और शब्द रखे जाएंगे

(ख) नियम 12 में,

(1) उपनियम (1) और उपनियम (2) के पहले परन्तुक में "240 दिन" अंकों और शब्द के स्थान पर "300 दिन" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(2) उपनियम (2) के दूसरे परन्तुक में "120 दिन" अंकों और शब्द के स्थान पर "150 दिन" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

(ग) नियम 20 में,

उपनियम (1) में "90 दिन" अंकों और शब्द के स्थान पर "135 दिन" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

(घ) नियम 22 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"23. व्यावृत्ति — ऐसे मामलों का विनियमन, जो इन नियमों के अन्तर्गत नहीं आते, समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 में अन्तर्विष्ट सुसंगत उपबंधों के अनुसार, जहां तक ये लागू होते हैं और समुचित हैं, किया जाएगा ।"

[फा. सं. जी-35012(4)98-वि. II]
रवि सक्सेना, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 12 अप्रैल, 1984 में सा. का. नि. 277 (अ), द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा. का. नि. 804 (अ), तारीख 20-7-1988 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारियों के लिए छुट्टी नियम, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को लागू छुट्टी नियमों के अनुसार हैं । केन्द्रीय सरकार ने पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अपने कर्मचारियों के लिए उपार्जित छुट्टी और प्रसूति छुट्टी के नियमों को क्रमशः 1 जुलाई 1997 और 7 अक्तूबर, 1997 से संशोधित किया है । अतः तेल उद्योग (विकास) बोर्ड कर्मचारी (छुट्टी) नियम, 2000 को उन तारीखों से भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है । यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव दिये जाने से किसी ऐसे कर्मचारी पर, जिसे यह नियम लागू होते हैं, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

10

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 10th July, 2000

G.S.R. 280.—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Oil Industry (Development) Board Employees' (Leave) Rules, 1984, namely :—

1. (1) These rules may be called the Oil Industry (Development) Board Employees (Leave) Amendment Rules, 2000.

(2) While the amendments to sub-rule 10(2), sub-rule 10(5), proviso to sub-rule 10(6), sub-rule 12(1), first proviso to sub-rule 12(2), second proviso to sub-rule 12(2) and insertion of Rule 23 shall be deemed to have come into effect from the 1st July, 1997, the amendment to sub-rule 20(1) shall be deemed to have come into effect from the 7th October, 1997.

2. In the Oil Industry (Development) Board Employees (Leave) Rules, 1984,—

(a) in rule 10,—

(i) in sub-rule (2) and sub-rule (5), for the figures and word "240 days", the figures and word "300 days" shall be substituted ;

(ii) in the proviso to sub-rule (6), for the figures and word "120 days", the figures and word "150 days" shall be substituted.

(b) in rule 12,—

(i) in sub-rule (1) and the first proviso to sub-rule (2), for the figures and word "240 days", the figures and word "300 days" shall be substituted ;

(ii) in the second proviso to sub-rule (2), for the figures and word "120 days", the figures and word "150 days" shall be substituted.

(c) in rule 20, in sub-rule (1), for the figures and word "90 days", the figures and word "135 days" shall be substituted.

(d) After Rule 22, the following rule shall be inserted, namely :—

"23. Savings.—Any matter not covered by these rules shall be regulated, to the extent applicable and appropriate, in accordance with the relevant provisions contained in the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, as amended from time to time."

[File No. G-35012|4|98-Fin.II]

RAVI SAXENA, Jt. Secy. & Financial Adviser

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India (Extraordinary) in Part II Section 3, Sub-section (i), dated the 12th April, 1984 vide GSR 277(E) and subsequently amended vide GSR 804(E), dated 20th July, 1988.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The leave rules for the employees of the Oil Industry Development Board are on the lines of the leave rules applicable to the Central Government employees. The Central Government has amended on the basis of recommendations of the Fifth Pay Commission, leave rules for its employees, with reference to Earned Leave and Maternity Leave w.e.f. the 1st July, 1997 and 7th October, 1997 respectively. The Oil Industry (Development) Board Employees (Leave) Amendment Rules, 2000, is, therefore, also being given retrospective effect from the dates. It is certified that the retrospective effect being given to these rules will not affect adversely any employee to whom these rules shall apply.